भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3379
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र

3379. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नयन किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के लिए राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश के लिए जिला-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग की गई है;

(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उनके कौशल और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण और सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए परियोजनाओं की योजना बनाई है अथवा प्रस्तावित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, 15वें वित्त आयोग की अवधि में सरकारी भवनों में संचालित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि बेहतर पोषण सेवाएं तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा दी जा सके। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा संबंधी शिक्षण सामग्री तथा 'भवन की दीवारों पर चित्रकारी के माध्यम से शिक्षण (बाला)

जैसी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में 9,958 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों तथा उनके उन्नयन के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य में सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की जिलावार सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 'पोषण भी पढ़ाई भी' (पीबीपीबी) पहल के माध्यम से, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 'आधारशिला' और 'नवचेतना' के विस्तार के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्यनीति अपनाई है। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदमों में पीबीपीबी के पहले और दूसरे चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण; पाठ्यक्रमों का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का व्यापक (कैस्कैडिंग) प्रशिक्षण; अग्रणी कार्यकर्त्रियों को 'आधारशिला' (3-6 वर्ष) और 'नवचेतना' (0-3 वर्ष) पाठ्यक्रम पैकेज, सहायक पुस्तिकाएं, गतिविधि-आधारित शिक्षण सामग्री एवं कार्यान्वयन दिशानिर्देश उपलब्ध कराना; तथा 'आधारशिला' और 'नवचेतना' पाठ्यक्रमों के माध्यम से आयु-अनुकूल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संबंधी तौर-तरीकों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है। आंध्र प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 'आधारशिला' एवं 'नवचेतना' पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन जून, 2025 से किया जा रहा है।

अनुलग्नक ।

"आंध्र प्रदेश में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र" के संबंध में दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3379 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सक्षम आंगवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत करने के लिए मंज़ूर किए गए आंगवाड़ी केंद्र और उनके उन्नयन के लिए जारी की गई निधि की राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**उन्नयन के लिए मंज़ूर किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कुल निधि (रु . लाख में)**
1	आंध्र प्रदेश	9958	5974.80
2	बिहार	11529	6917.40
3	छत्तीसगढ	11490	2067.50
4	गुजरात	13147	750.00
5	हरियाणा	2804	3.56
6	हिमाचल प्रदेश	1030	286.39
7	जम्मू और कश्मीर	338	304.20
8	झारखंड	16775	3028.88
9	कर्नाटक	17732	10639.20
10	केरल	4152	1142.12
11	मध्य प्रदेश	24662	6135.57
12	महाराष्ट्र	14745	8847.00
13	ओडिशा	12140	7284.00
14	पंजाब	353	56.88
15	राजस्थान	3514	102.93
16	तमिलनाडु	11972	7183.20
17	तेलंगाना	5008	835.43
18	उत्तर प्रदेश	23697	11722.80
19	उत्तराखंड	827	306.04
20	पश्चिम बंगाल	5359	2308.19

21	अरुणाचल प्रदेश	152	136.80
22	असम	5407	4866.30
23	मणिपुर	30	20.25
24	मेघालय	121	108.90
25	मिजोरम	1600	1440.00
26	नागालैंड	149	134.10
27	सिक्किम	435	391.50
28	त्रिपुरा	474	366.75
29	अंडमान एवं निकोबार	140	140.00
30	गोवा	24	0.00
31	पुदुच्चेरी	135	39.00
32	चंडीगढ़	69	69.00
33	लद्दाख	14	14.00
34	लक्षद्वीप	18	4.50

अनुलग्नक -II

"आंध्र प्रदेश में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र" के संबंध में दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3379 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आंध्र प्रदेश राज्य में सक्षम आंगवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन के लिए मंज़ूर किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों का ज़िलेवार विवरण

ज़िला	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
अनंतपुर	0	0	185
अनकापल्ली	204	0	0
अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर)	154	181	0
अन्नमय्या	122	174	0
बापतला	0	0	261
चित्तूर	0	0	814
पूर्वी गोदावरी	0	0	704
एलुरु	0	0	855
गुंटूर	0	0	204
काकीनाडा	0	0	488
कोनासीमा	0	0	340
कृष्णा	0	0	743
कुरनूल	0	27	119
नांदयाल	0	0	101
एनटीआर	0	63	377
पीवीपी मान्यम	113	516	0
पालनाडु	0	0	67
प्रकाशम	0	82	160
एसपीएसआर नेल्लोर	0	0	401
श्री सत्य साईं	0	0	154
श्रीकाकुलम	0	0	153
तिरुपति	0	0	475
पश्चिम गोदावरी	0	0	489
वाईएसआर कडप्पा	0	720	0
विशाखापत्तनम	42	0	0
विजयनगरम	287	0	0
कडप्पा	183	0	0
